A-4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 134/2020
शेखर शर्मा पुत्र अश्विनी कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0, चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. आकीब पुत्र अख्तर अली कपूर, जाति लुहार कपूर, निवासी एनएल 6, 16/3 सप्तऋषि एसोसिएशन सेक्टर 8 नेरूल नवी मुम्बई, नेरूल नोड़ 3, ठाणे महाराष्ट्र 400706

–– रेस्पोडेन्ट

एवं

अपील संख्या 135/2020
शेखर शर्मा पुत्र अश्विनी कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0, चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. फनीदा पत्नी अख्तर अली कपूर, जाति लुहार कपूर, निवासी एनएल 6, 16/3 सप्तऋषि एसोसिएशन सेक्टर 8 नेरूल नवी मुम्बई, नेरूल नोड़ 3, ठाणे महाराष्ट्र 400706

–– रेस्पोडेन्ट

एवं

अपील संख्या 137/2020
शेखर शर्मा पुत्र अश्विनी कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0, चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. सरीफ पुत्र असगर अली कपूर, जाति लुहार कपूर, निवासी एनएल 6, 16/3 सप्तऋषि एसोसिएशन सेक्टर 8 नेरूल नवी मुम्बई, नेरूल नोड़ 3, ठाणे महाराष्ट्र 400706

–– रेस्पोडेन्ट

एवं

अपील संख्या 139/2020
शेखर शर्मा पुत्र अश्विनी कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड न0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0, चिडावा, जिला झुंझुनूं।
2. अख्तर अली पुत्र असगर अली, जाति लुहार कपूर, निवासी एनएल 6, 16/3 सप्तऋषि एसोसिएशन सेक्टर 8 नेरूल नवी मुम्बई, नेरूल नोड़ 3, ठाणे महाराष्ट्र 400706

3. –– रेस्पोडेन्ट

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A-4/2

—

अपील अ०धारा 17 बीThe Rajasthan Municipalties Registration of Electirs 1974**खिलाफ आदेश दिनांक 07.07.2020 निर्वाचन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नगर पालिका चिडावा एवं एस०डी०एम० चिडावा बाबत रेस्पोडेन्ट नं0 2 का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं0 18 की मतदाता सूची मे नाम जोडने के विरूद्व अपील।**

—

उपस्थित

1. मो0 खादिम, एडवोकेट– अपीलांट की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से

<u>आदेश</u>

दिनांक 02.11.2020

उक्त विषयक अपील विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा के आदेश के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपीले एक ही वार्ड एक ही स्थान की होने के कारण एक साथ सुनवाई पर ली गई। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्ट के अनुसार इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2020 खिलाफ कानून है। रेस्पोडेन्टगण नम्बर 2 वार्ड नम्बर 17 के निवासी नहीं है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 वार्ड नम्बर 17 में नहीं रहते है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 स्थायी रूप से ठाणे महाराष्ट्र में रहते है एवं वहीं पर इनके नाम भाईकलां विधानसभा की वोरट लिस्ट में दर्ज है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 अपने परिवार सहित ठाणे महाराष्ट्र में रहते है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के मार्फत जो फार्म नम्बर 3 वार्ड नम्बर 17 में नाम जुड़वाने के लिए पेश किया है के साथ आधार कार्ड एवं अपनी शिक्षा के दस्तावेज भी अन्य जगह के है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 के तमाम दस्तावेज महाराष्ट्र के पेश होने के बावजूद भी बी.एल.ओ. एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना दस्तावेजों पर गौर किये रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 के नाम वार्ड नम्बर 17 की निर्वाचक नामावली में क्रमांक क्रमशः 754, 752, 751, 624 पर आधारहीन तरीके से जोड़ दिए। रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 के जो नाम जुड़वाने का फार्म नम्बर 3 पेश किया गया है, वह स्वयं रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 द्वारा उपस्थित होकर पेश नहीं किया गया है बल्कि किसी अन्य दीगर व्यक्ति के द्वारा पेश किया गया है क्योंकि रेस्पोडेन्टगण नम्बर 2 लॉकडाउन के चलते मार्च 2020 से आज तक अपने मुकम्मल स्थायी आवास ठाणे महाराष्ट्र में रहता है। किन्तु बी.एल.ओ. के द्वारा बिना उपस्थित हुए ही रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 का नाम जोडने की अनुशंषा की है, जिस पर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने कोई गौर नहीं किया और नाम को जोड़ दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 के नाम नगरपालिका के वार्ड नम्बर 17 की निर्वाचन नामावली 2020 से हटाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्टगण नम्बर 2 वार्ड नम्बर 17 के निवासी नहीं है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 वार्ड नम्बर 17 में नहीं रहते है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 स्थायी रूप से ठाणे महाराष्ट्र में रहते है एवं वहीं पर इनके नाम भाईकलां विधानसभा की वोरट लिस्ट में दर्ज है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के मार्फत जो फार्म नम्बर 3 वार्ड नम्बर 17 में नाम जुड़वाने के लिए पेश किया है के साथ आधार कार्ड एवं अपनी शिक्षा के दस्तावेज भी अन्य जगह के है। बी.एल.ओ. एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना दस्तावेजों पर गौर किये रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 के नाम वार्ड नम्बर 17 की निर्वाचक नामावली में क्रमांक क्रमशः 754, 752, 751, 624 पर आधारहीन तरीके से जोड़ दिए। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 के नाम नगरपालिका के वार्ड नम्बर 17 की निर्वाचन नामावली 2020 से हटाया जावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर रेस्पोडेन्ट सं0 2 के नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 17 की मतदाता सूची मे यथावत रखा जावे।

कलक्टर झुन्झुनूं

A-4/3

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपीले एक ही वार्ड, एक ही स्थान की होने के कारण एक साथ निर्णित की जाती है। अपीलों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किये जाते है। अपीलों के अवलोकन व श्रवण से निम्न तथ्य सामने आये है :–

1. अपील संख्या 134/2020 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 आकीब पुत्र अख्तर अली कपूर का नाम बी.एल. ओ. द्वारा निर्वाचन नामावली में रेस्पोडेन्ट के चाचा का नाम दर्ज होने पर अभिशंषा कर निर्वाचन नामावली में रेस्पोडेन्ट का नाम जोड़ा गया है। अपीलान्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के आधार कार्ड में पता ठाणे महाराष्ट्र अंकित है। केवल मात्र आधार कार्ड में पता अन्य स्थान का होने को आधार मानकार किसी नागरिक को मतदान से वंचित नहीं रखा जा सकता हैं। साथ ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के जन्म प्रमाण पत्र तथा पिता के राशन कार्ड में पता चिड़ावा का दर्ज है।
2. अपील संख्या 135/2020 तथा 139/2020 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 क्रमशः फदीमा पत्नी अख्तर अली तथा अख्तर अली पुत्र असगर अली है जो पति पत्नि है। उक्त रेस्पोडेन्टस का नाम बी. एल.ओ. द्वारा निर्वाचन नामावली में देवर तथा भाई का नाम दर्ज होने पर अभिशंषा कर नाम निर्वाचन नामावली में जोड़ा गया है। उक्त के संबंध में भी अपीलान्ट का कथन है कि इनके आधार कार्ड में पता ठाणे महाराष्ट्र का अंकित है तथा इन दोनो का नाम भाई कलां विधानसभा की निर्वाचन नामावली में दर्ज है। उपरोक्त वर्णितानुसार केवल आधार कार्ड में अंकित पते के को आधार मानकार किसी नागरिक को मतदान से वंचित नहीं रखा जा सकता हैं तथा अपीलान्ट द्वारा जो निर्वाचन नामावली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है वह वर्ष 2010 की जो 10 वर्ष पुरानी है। साथ ही उक्त रेस्पोडेन्टस के अन्य दस्तावेजों जन्म प्रमाण तथा राशनकार्ड में पता चिड़ावा का दर्ज है।
3. इसी प्रकार अपील संख्या 137/2020 में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 सरीफ़ पुत्र असगर अली का नाम बी.एल.ओ. द्वारा निर्वाचन नामावली में रेस्पोडेन्ट के पत्नी का नाम दर्ज होने पर अभिशंषा कर निर्वाचन नामावली में रेस्पोडेन्ट का नाम जोड़ा गया है। इसकी बाबत अपीलान्ट का कहना है कि उक्त रेस्पोडेन्ट का नाम भाईकलां विधानसभा की निर्वाचन नामावली में दर्ज है। उपरोक्त अनुसार अपीलान्ट ने जो निर्वाचन नामावली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है वह वर्ष 2010 की है। जिसे वर्तमान मे वैध माना जाना हम उचित नहीं समझते है तथा रेस्पोडेन्ट के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड में पता चिड़ावा का दर्ज है।
4. उक्त समस्त बिन्दुओ से साफ है कि अपीलान्ट ने केवल आधार कार्ड में अंकित पतों तथा भाईकलां विधानसभा की निवार्चन नामावली वर्ष 2010 के आधार पर रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 के नाम निर्वाचन नामावली से हटवाना चाहते है। जैसा की आदेश में पूर्व में अंकित किया जा चुका है कि उक्त बिन्दुओं के आधार पर रेस्पोडेन्टस को मतदान से वंचित नहीं रखा जा सकता है। अपीलान्ट ने न्यायालय के समक्ष ऐसा भी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे रेस्पोडेन्टस का नाम अन्य निर्वाचन नामावली में दर्ज होना अंकित हो। अपीलान्ट न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने में असफल रहें है। अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं है।
5. अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति शेष अपीलों में संलग्न हो। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 02.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/11/2020

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं